

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

::आदेशः

दीपावली एवं छठ पूजा के मद्देनजर झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 139 में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय तथा विधान सभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को माह अक्टूबर, 2025 के मासिक वेतन का भुगतान दिनांक 16.10.2025 से किया जाय।


(ज्योति कुमारी झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : वित्त-7 / 185 / 2001 / 2480 / वि०

राँची, दिनांक 14 / 10 / 2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ज्योति कुमारी झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : वित्त-7 / 185 / 2001 / 2480 / वि०

राँची, दिनांक 14 / 10 / 2025

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग / निदेशक, कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय, झारखण्ड, राँची सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ज्योति कुमारी झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : वित्त-7 / 185 / 2001 / 2480 / वि०

राँची, दिनांक 14 / 10 / 2025

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / उपायुक्त / स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन, नई दिल्ली / सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय / सभी वरीय कोषागार / कोषागार / सहायक कोषागार पदाधिकारी, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ज्योति कुमारी झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : वित्त-7 / 185 / 2001 / 2480 / वि०

राँची, दिनांक 14 / 10 / 2025

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय मुख्य कार्यालय, राँची / मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिणी गाँधी मैदान, पटना / क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ज्योति कुमारी झा)

सरकार के उप सचिव।